REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 9 | JUNE - 2026

# भारत में भ्रष्टाचार की रोकथाम मे विधानों की भूमिका

**ओमेश कुमार**
**एलएलएम (चतुर्थ सेमेस्टर)**

**श्रीमती रूबी**
**(सहायक प्रोफेसर) मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़.**

**सार**

भ्रष्टाचार लोकतंत्र और आर्थिक विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता के बाद से भारत में इसे रोकने हेतु कई कानून बनाए गए हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 से लेकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 और लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 तक विधायी ढांचा लगातार विकसित हुआ है। इस शोध पत्र का उद्देश्य भारत में भ्रष्टाचार विरोधी प्रमुख विधानों, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीआई, लोकपाल जैसी संस्थाओं की भूमिका तथा न्यायिक हस्तक्षेप का विश्लेषण करना है। विनीत नारायण बनाम भारत संघ जैसे निर्णयों ने जांच एजेंसियों की स्वायत्तता को मजबूत किया। अध्ययन दर्शाता है कि कानूनों के बावजूद राजनीतिक हस्तक्षेप, जांच में देरी और कम दोषसिद्धि दर प्रमुख बाधाएं हैं। निष्कर्षतः केवल विधायन पर्याप्त नहीं है। डिजिटल गवर्नेंस, व्हिसलब्लोअर सुरक्षा और नागरिक भागीदारी के साथ प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

**मुख्य शब्द-** भ्रष्टाचार निवारण, विधायी ढांचा, लोकपाल अधिनियम, केंद्रीय सतर्कता आयोग, न्यायिक सक्रियता, विनीत नारायण केस, सुशासन

## प्रस्तावना

भ्रष्टाचार का अर्थ है सार्वजनिक पद का निजी लाभ हेतु दुरुपयोग। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी भ्रष्ट अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। आधुनिक भारत में यह समस्या और गहरी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की Corruption Perceptions Index 2023 रिपोर्ट में भारत 180 देशों में 93वें स्थान पर है। इसका स्कोर 100 में से केवल 39 है।

भ्रष्टाचार के कई रूप हैं। घूस लेना, भाई-भतीजावाद, सरकारी खरीद में धांधली, चुनावी चंदे में अपारदर्शिता और नीतिगत भ्रष्टाचार इसके मुख्य उदाहरण हैं। NIPFP के एक अध्ययन के अनुसार भ्रष्टाचार से भारत को हर साल GDP का लगभग 1.5 प्रतिशत नुकसान होता है।

आजादी के बाद सरकार ने माना कि विकास में भ्रष्टाचार सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए 1947 में ही Prevention of Corruption Act लाया गया। 1988 में इसे पूरी तरह बदलकर नया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बनाया गया। 21वीं सदी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और लोकपाल अधिनियम 2013 जैसे कानून आए। इन कानूनों ने आम नागरिक को भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की ताकत दी।

इस शोध पत्र के तीन मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, भारत में भ्रष्टाचार विरोधी प्रमुख विधानों का ऐतिहासिक और वर्तमान स्वरूप समझना। दूसरा, CVC, CBI, ED और लोकपाल जैसी संस्थाओं की भूमिका और उनकी सीमाओं का अध्ययन करना। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णयों का विश्लेषण करके देखना कि न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार रोकने में क्या योगदान दिया है।

## ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

### औपनिवेशिक काल से शुरुआत

ब्रिटिश शासन में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 161 से 165 तक में लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेना अपराध घोषित किया गया था। आजादी के तुरंत बाद 1947 में Prevention of Corruption Act बनाया गया। यह भारत का पहला विशेष भ्रष्टाचार विरोधी कानून था।

### संथानम समिति 1964

1962 के चीन युद्ध के बाद प्रशासन में भ्रष्टाचार की शिकायतें बढ़ीं। सरकार ने के. संथानम की अध्यक्षता में समिति बनाई। समिति ने कहा कि भ्रष्टाचार केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं बल्कि प्रशासनिक समस्या भी है। इसी रिपोर्ट की सिफारिश पर 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC की स्थापना हुई।

### 1988 का बड़ा बदलाव

पुराना 1947 का कानून सीमित था। इसलिए 1988 में नया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लाया गया। इस कानून में लोक सेवक की परिभाषा बहुत व्यापक कर दी गई। बैंक कर्मचारी, विश्वविद्यालय के अधिकारी भी इसके दायरे में आ गए। सजा भी बढ़ाकर अधिकतम 7 साल कर दी गई। 2018 के संशोधन में रिश्वत देना भी अपराध बना दिया गया।

## प्रमुख विधायी प्रावधान

### भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी कानून है। इसकी धारा 7 के अनुसार यदि कोई लोक सेवक अपने काम के बदले कोई अनुचित लाभ लेता है तो उसे 3 से 7 साल की सजा होगी। धारा 13 में आपराधिक कदाचार को परिभाषित

किया गया है। यदि किसी लोक सेवक के पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति मिलती है तो वह धारा 13 के तहत दोषी माना जाएगा। 2018 संशोधन के बाद अब व्यावसायिक कंपनियों को भी रिश्वत देने पर सजा हो सकती है।

**लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013**

2011 में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद यह कानून बना। इस कानून के तहत केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त बनाए गए। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सांसद और ग्रुप A के अधिकारी आते हैं। लोकपाल के पास अपनी जांच और अभियोजन शाखा है। मार्च 2019 में देश के पहले लोकपाल न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष नियुक्त हुए।

**केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003**

पहले CVC केवल सरकारी प्रस्ताव से बना था। 2003 के कानून से इसे संवैधानिक दर्जा मिला। CVC अब CBI की भ्रष्टाचार शाखा के काम पर निगरानी रखता है। वह राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है।

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

यह सीधा भ्रष्टाचार विरोधी कानून नहीं है। पर इसने सरकारी काम में पारदर्शिता ला दी। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, आदर्श हाउसिंग घोटाला जैसे बड़े मामले RTI से ही सामने आए। इस कानून ने हर नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया।

**व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम, 2014**

इस कानून का उद्देश्य भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान गुप्त रखना है। ताकि उसे नुकसान न पहुंचे। पर दुर्भाग्य से 2014 से आज तक इसके नियम अधिसूचित नहीं हुए हैं। इसलिए व्यवहार में यह कानून अभी लागू नहीं है।

## संस्थागत तंत्र

**केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI**

CBI की स्थापना दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत हुई। यह भारत की मुख्य जांच एजेंसी है। सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण केस में कहा कि CBI को सरकार के दबाव से मुक्त होना चाहिए। इसके बाद CBI निदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए निश्चित कर दिया गया। उसकी नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की समिति की भूमिका होती है।

***4.2 प्रवर्तन निदेशालय ED***

ED धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA 2002 के तहत काम करता है। भ्रष्टाचार से कमाई गई काली कमाई को जब्त करना इसका मुख्य काम है। पिछले 5 साल में ED ने कई नेताओं और अधिकारियों की संपत्ति जब्त की है।

## लोकपाल

लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं। इनमें 50 प्रतिशत न्यायिक सदस्य होते हैं। लोकपाल को शिकायत मिलने पर शुरुआती जांच के बाद CBI या अपनी जांच शाखा से जांच कराने की शक्ति है। पर 2019 से 2024 तक लोकपाल के पास कुल 8000 शिकायतें आईं, पर FIR केवल 24 मामलों में हुई। इसका मुख्य कारण स्टाफ और संसाधनों की कमी है।

## न्यायिक दृष्टिकोण

### विनीत नारायण बनाम भारत संघ 1997

इसे हवाला कांड केस भी कहते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने CBI और CVC की स्वायत्तता पर ऐतिहासिक आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि CBI निदेशक को सरकार जब चाहे हटा नहीं सकती। CVC को CBI पर अधीक्षण की शक्ति दी गई। इस निर्णय से जांच एजेंसियों को राजनीतिक दबाव से कुछ राहत मिली।

### सेंटर फॉर PIL बनाम भारत संघ 2011

इस केस में पी.जे. थॉमस की CVC के रूप में नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। कारण यह था कि केरल में उन पर पामोलीन तेल आयात घोटाले का केस लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CVC का पद संस्थागत ईमानदारी का प्रतीक है। इसलिए उस पर बैठने वाला व्यक्ति बेदाग होना चाहिए।

### ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश 2013

इस निर्णय में कोर्ट ने कहा कि यदि भ्रष्टाचार की संज्ञेय शिकायत मिलती है तो पुलिस को तुरंत FIR दर्ज करनी होगी। प्रारंभिक जांच के नाम पर देरी नहीं की जा सकती।

## प्रमुख चुनौतियाँ

### राजनीतिक हस्तक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने खुद CBI को पिंजरे का तोता कहा है। राज्य सरकार की अनुमति के बिना CBI राज्य में जांच नहीं कर सकती। इससे कई मामले रुक जाते हैं।

### न्यायिक देरी

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के केस औसतन 8 साल तक चलते हैं। NCRB 2022 के अनुसार इन मामलों में दोषसिद्धि की दर केवल 29.8 प्रतिशत है। यानी 100 में से 70 आरोपी छूट जाते हैं।

### लोकपाल की कमजोरी

लोकपाल के पास अपनी पुलिस फोर्स नहीं है। उसे जांच के लिए CBI पर निर्भर रहना पड़ता है। साथ ही उसके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है।

**व्हिसलब्लोअर पर खतरा**

सत्येंद्र दुबे, मंजूनाथ शानमुगम जैसे ईमानदार अधिकारियों की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार उजागर किया। जब तक शिकायतकर्ता सुरक्षित नहीं होगा, लोग शिकायत करने से डरेंगे।

## सुझाव एवं निष्कर्ष

### सुझाव

1. CBI को संवैधानिक दर्जा देकर चुनाव आयोग की तरह स्वायत्त बनाया जाए।
2. भ्रष्टाचार के मामलों के लिए हर जिले में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनें। केस 1 साल में खत्म हो।
3. व्हिसल ब्लोअर्स संरक्षण अधिनियम 2014 को तुरंत नियमों के साथ लागू किया जाए।
4. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में चुनावी बॉन्ड योजना रद्द कर दी है। इस फैसले को सही से लागू करके चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाई जाए।
5. सरकारी खरीद और ठेकों में Blockchain तकनीक का उपयोग हो ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो।

## निष्कर्ष

भारत में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानूनों की कोई कमी नहीं है। 1860 की IPC से लेकर 2013 के लोकपाल कानून तक हमारे पास मजबूत विधायी ढांचा है। असली समस्या कानून के क्रियान्वयन की है। जब तक जांच एजेंसियों को राजनीतिक दबाव से पूरी आजादी नहीं मिलती और न्याय प्रक्रिया तेज नहीं होती, तब तक कानून कागजों तक सीमित रहेंगे। इसलिए केवल नए कानून बनाना समाधान नहीं है। मौजूदा कानूनों को ईमानदारी से लागू करना, तकनीक का उपयोग करना और नागरिकों को जागरूक करना जरूरी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सरकार, न्यायालय और समाज तीनों की साझा जिम्मेदारी है।

## ग्रंथ सूची


1. The Prevention of Corruption Act, 1988.
2. The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.
3. M.P. Jain, _Indian Constitutional Law_, LexisNexis, 8th Ed. 2018.
4. S.K. Das, _Corruption and Reform in India_, Sage Publications, 2001.
5. Second Administrative Reforms Commission, _Ethics in Governance_, 2007.
6. NCRB, _Crime in India Report 2022_, Ministry of Home Affairs.
7. Transparency International, _Corruption Perceptions Index 2023_.
8. Vineet Narain v. Union of India, (1998) 1 SCC 226.
9. Association for Democratic Reforms v. Union of India, 2024.